

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(438/38)2020/एफसीए/प्रमुवसं/

दिनांक

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

विषय:— Diversion of 0.1489 hectare forest land for construction of approach road for a new Bharat Petroleum Corporation Ltd. retail outlet On (Parbatsar-Piplad) Road SH-21A Between KM Stone No. 6-7, LHS in khasra No. 853 at Village - Piplad, Tehsil - Parbatsar, District - Nagaur (Rajasthan).
(Proposal No. : FP/RJ/ROAD/50349/2020)

सन्दर्भ:—राज्य सरकार का पत्रांक प. 1(31)वन/2021 दिनांक 04.08.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के पत्रांक प. 1(31)वन/2021 दिनांक 04.08.2021 (प्रति संलग्न) से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत Diversion of 0.1489 hectare forest land for construction of approach road for a new Bharat Petroleum Corporation Ltd. retail outlet On (Parbatsar-Piplad) Road SH-21A Between KM Stone No. 6-7, LHS in khasra No. 853 at Village - Piplad, Tehsil - Parbatsar, District - Nagaur हेतु 0.1489 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन एवं शून्य वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति जारी की गई है। अतः आलौच्य प्रकरण में समस्त शर्तों की पूर्ति की पालना सुनिश्चित करावें इसके उपरांत प्रकरण में संबंधित विभाग/संस्था को वनभूमि के उपयोग की अनुमति दे दी जावे।

1. राज्य सरकार के उक्त पत्र में अंकित समस्त शर्तों की कड़ाई से पालना की जावे।
 2. मुख्य वन संरक्षक स्तर पर राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना का प्रबोधन निरंतर किया जावे।
 3. मुख्य वन संरक्षक के क्षेत्र से संबंधित समस्त स्वीकृतियों का पृथक से एक रजिस्टर संधारित किया जावे।
- संलग्न:—उक्तानुसार।

भवदीय,


(डॉ. गोविन्द सागर भारद्वाज)
अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ. 14(438/38)2020/एफसीए/प्रमुवसं/ 224545

दिनांक 6/8/21

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को राज्य सरकार के उक्त पत्र की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर कैम्प कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 (उ०प्र०)
2. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प. 1(31)वन/2021 दिनांक 04.08.2021 के क्रम में।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (आई.टी.) अरण्य भवन, जयपुर को राज्य सरकार, वन विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 04.08.2021 (प्रति संलग्न) को राज्य वन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
4. उप वन संरक्षक, नागौर को प्रेषित कर लेख है कि मण्डल से संबंधित समस्त प्राप्त स्वीकृतियों के सम्बन्ध में पृथक से एक रजिस्टर में सूचना संधारित की जावे।
5. प्रबन्धक (Territory Manager), भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, बीपीसीएल सीतापुरा, जयपुर-302022

म. 1

(भवानी सिंह)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

Acf(17)
2/10/8

Pragmeer
Acf(17)
10/8

राजस्थान सरकार
वन विभाग

जयपुर, दिनांक-04 AUG 2021

क्रमांक: प. 1 (31) वन/2021
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:- Diversion of 0.1489 ha. forest land in favour of Bharat Petroleum Corporation Ltd. for construction of approach road for proposed Bharat Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Parbatsar to Peeplad Road (SH-21A) between KM Stone No. 6-7 (Chainage: 6/045.00 - 6/080.00) LHS in Khasra No. 853, At Village - Peeplad, Tehsil - Parbatsar, District - Nagaur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/50349/2020).

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14(438/38)2020/एफसीए/प्रमुवस/1731 दिनांक 14.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में स्टोन नम्बर 6-7 (Chainage: 6/045.00 - 6/080.00) खसरा नम्बर 853, ग्राम पीपलाद, जिला पर्वतसर, जिला नागौर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.1489 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई थी। इस काम में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 28.04.2021 द्वारा प्रसारित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसरण में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान के पत्रांक एफ 14(438/38)2020/एफसीए/प्रमुवस/1731 दिनांक 14.07.2021 द्वारा अनुपालना प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा निर्देशों की पालना में Diversion of 0.1489 ha. forest land in favour of Bharat Petroleum Corporation Ltd. for construction of approach road for proposed Bharat Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Parbatsar to Peeplad Road (SH-21A) between KM Stone No. 6-7 (Chainage: 6/045.00 - 6/080.00) LHS in Khasra No. 853, At Village - Peeplad, Tehsil - Parbatsar, District - Nagaur, Rajasthan की विधिवत स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यक्षीन प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।

Principal/ Approval diversion/secy.forest/floder ajay goyar

S
5/8/21
DCF(ECA)



5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिवट पडे स्थानों पर ड्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देश की पालना करेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 28.04.2021 में वर्णित शर्तों की सभी सम्बन्धित द्वारा पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी।
12. नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे।
13. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त की अनुपालन नहीं होने अथवा असन्तोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,


(बी. प्रवीण)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र), पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024।
3. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
5. उप वन संरक्षक, नागौर।
6. प्रबन्धक (Territory Manager), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वीपीसीएल सीतापुरा जयपुर-302022
7. रक्षित पत्रावली।

//
(शुभम जैन)
विशेषाधिकारी, वन